कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद–गोरखपुर।

पत्रांक–अ–24–एफ0एस0/2012 दिनांक–अक्टूबर, 15, 2016

सेवा में,

मेसर्स बाकें बिहारी डेवलपर्स प्रा0लि0,
टाइमोनीर हास्पिटल के सामने,
देवरिया रोड मोहदीपुर,
जनपद–गोरखपुर।

विषयः– टाइमोनीर हास्पिटल के सामने, देवरिया रोड मोहदीपुर जनपद–गोरखपुर में मेसर्स बाकें बिहारी डेवलपर्स प्रा0लि0 के निर्मित भवन में अग्निशमन व्यवस्था का कम्पलीशन प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में:–

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र सं0–निल, दिनांक–10.10.2016 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत निर्मित भवन की कम्पलीशन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन में प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर से सुसंगत मानकों के अनुसार कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांक–13.10.2016 का परीशीलन करने पर निम्न विवरण पाया गया:–

भवन की संरचना–

1–कुल भूखण्ड एरिया–2993.77 वर्ग मीटर
निर्मित भूतल कवर्ड एरिया–1160.80 वर्ग मीटर

2–प्रथम तल से उपरी तलों का टिपिकल कवर्ड एरिया–10178.12 वर्गमीटर(प्रत्येक तलवार विवरण)
प्रथम तल का कवर्ड एरिया–1160.80 वर्गमीटर, द्वितीय तल से आठवें तल तक प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया–1011.88 वर्गमीटर, तथा नवें तल से ग्यारहवें तल तक प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया–644.72 वर्गमीटर (मुमटी एरिया–26.68 वर्गमीटर)

3–बेसमेन्ट प्रथम(पार्किंग) का कवर्ड एरिया–1533.34 वर्गमीटर

4–बेसमेन्ट द्वितीय का कवर्ड एरिया–1533.34 वर्गमीटर(पार्किंग व स्टोरेज, कार्मशियल)

5–बेसमेन्ट तृतीय का कवर्ड एरिया–शून्य वर्गमीटर

6–भवन की उचॉई–37.40 मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी–प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की श्रेणी–A-4 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।
(प्रश्नगत भवन होने पर उसमे प्रयुक्त मैटीरियल टाइप–प्रथम)

ढॉचागत व्यवस्था:–

1–पहुँच मार्ग:–भूखण्ड के सामने मानचित्रों में–30.00 मीटर रोड की चौड़ाई है।

3–सैटबैक:–प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:–

ए0–अग्रभाग–9.00 मीटर
बी0–पृष्ठभाग–9.00 मीटर
सी0–पार्श्वभाग प्रथम 9.00 मीटर
डी0–पार्श्वभाग द्वितीय–9.00 मीटर है।

भवन के सेटबैक नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 एवं भवन निर्माण उपविधि–2008/10 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार उपलब्ध है।

4–निकास मार्ग:–प्रश्नगत भवन में–02 स्टेयर जिनकी चौड़ाई 1.5 मीटर एवं 02–लिफ्ट का प्राविधान किया गया है, जिनकी फ्लोर की समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

4–रिफ्यूज एरिया का विवरण:–प्रश्नगत भवन में रिफ्यूज एरिया एन0बी0सी0–2005 के क्लाज 4.12.3 के अनुसार उपलब्ध है।

घ–अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:–निर्मित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार स्थापित पायी गयी।

1–होजरील/डाउनकमर–उक्त भवन के प्रत्येक तल पर होजरील का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित पाया गया।

2–टेरिस टैंक एवं टेरिस पम्प:–प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 1,00,000 लीटर क्षमता एवं टेरिस पम्प मानकों के अनुसार स्थापित पाया गया।

क्रमशः–2 पर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गोरखपुर

3-भूमिगत टैंकः-प्रश्नगत भवन में भूमिगत टैंक क्षमता 10,000 लीटर का स्थापित है।

4-पम्पः-प्रश्नगत भवन में भूमिगत टैंक के पास मानक के अनुसार मेन पम्प स्थापित है।

5-वेटराइजरः-उक्त भवन में वेटराइजर सिस्टम एन0बी0सी0-2005 के अनुसार स्थापित पाया गया।

6-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):-भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-2190 के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित पाये गये जो आई0एस0आई0 मार्का है।

7-आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः-उक्त भवन में एन0बी0सी0-2005 के अनुसार बेसमेन्ट/भूतल/प्रथम तल/द्वितीय तल पर स्थापित पाया गया।

8-मैनुअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टमः-सम्पूर्ण भवन में मैनुअल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 के अनुसार स्थापित पाया गया।

9-आटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टमः-प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट-2/भूतल/प्रथम तल व द्वितीय तल में ओटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित पाया गया।

10-स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टमः-उक्त भवन में एन0बी0सी0-2005 के अनुसार वांछित नहीं है।

11-प्रेशराईजेशन प्रणालीः-प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट/भूतल पर एन0बी0सी0-2005 के अनुसार उपलब्ध पाया गया।

12-एग्जिट साईनेजः-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित किये गये है।

13-पी0ए0सिस्टमः-पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर भवन को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

1- भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाय कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाये रखने हेतु मेन्टीनेन्स सैड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।

2- भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किये जायें।

3- किसी प्रकार अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।

5- प्रत्येक 06 माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को माक ड्रिल/फायर ड्रिल करायी जायी, तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाय। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जाय।

6- वर्ष में 01 बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के अन्तर्गत निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

7- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा, तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-गोरखपुर।

प्रतिलिपि-अग्निशमन अधिकारी गोरखपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

--:--